

थाना खन्ना पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की गयी बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खन्ना श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० मलखान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानास्थानीय में पंजीकृत मु०अ०स० 150/22 धारा 323/324/325/307/308/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त हरिओम तिवारी पुत्र छोटेलाल तिवारी नि० ग्राम सिरसीखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र के सिरसी खुर्द मोड़(तिराहा) ग्राम बहिंगा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद कुल्हाड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मां० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० मलखान सिंह
2. का० राजीव कुमार
3. का० राजेश कुमार

बरामदगी का विवरण:- एक अदद कुल्हाड़ी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हरिओम तिवारी पुत्र छोटेलाल तिवारी नि० ग्राम सिरसीखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 26 वर्ष



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये 25 लीटर अवैध शराब के साथ

03 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा उ.नि.रामचन्द्र व आबकारी निरीक्षक अर्पित गुप्ता के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी, पुलिस टीम ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 03 नफर अभियुक्ताओं क्रमशः 1. कला पत्नी दशराथ कबूतरा उम्र 40 वर्ष 2. ओमवती पत्नी मंगल कबूतरा उम्र 35 वर्ष 3. सुनीता पत्नी लखपत कबूतरा उम्र 32 वर्ष नि0गण कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा जिनके कब्जे से क्रमशः 02 डिब्बे व 1 पिपिया में 10,10,5 लीटर अवैध शराब कुल 25 लीटर नाजायज शराब की बरामदगी करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्तागण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.स. 05/2023, मु.अ.सं. 06/2023 व मु.अ.सं. 07/2023 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि.रामचन्द्र
2. का.संदीप यादव
3. म.का.कोमल विश्वकर्मा
4. आबकारी निरीक्षक अर्पित गुप्ता मय हमराह
5. का.प्रमोद कुमार मौर्य
6. का0 प्रभात वर्मा
7. म0का0 नेहा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी चेकिंग व गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह उ.नि.रविन्द्र नाथ पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सुरक्षा व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान थानाक्षेत्र के ग्राम कुसरमा से अभियुक्त मदन सिंह पुत्र नृपत सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कुसरमा थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद अद्वी 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 04/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 राजकुमार यादव
2. उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय

गिरफ्तार अभियुक्त -

मदन सिंह पुत्र नृपत सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कुसरमा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी - अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अद्वी 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वाछित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा तथा अवैध तमंचा व कारतूस बरामद...।

दिनांक 01.01.2023 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत कांशीराम कालोनी राठ रोड महोबा में फायरिंग की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01/02.01.2023 को थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 02/23 धारा 286 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुयी।

उक्त घटना का पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा संज्ञान लेते हुये अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री बलराम सिंह द्वारा उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल, उ0नि0 शेरे आलम खां के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित हुयी जिसके क्रम में आज दिनांक 04.01.2023 को पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्त जिनको थानाक्षेत्र के रामनगर से मय घटना मे संलिप्त वाहन एच.एफ.डीलक्स UP 95 Q 8479 के व गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण समस्त निवासीगण ग्राम चांदौ थाना कोतवाली नगर जिनके कब्जे से क्रमशः 1- प्रथ्वीराज राजपूत पुत्र हीरालाल उम्र 30 वर्ष जिसके कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व 01 अदद तमंचा व कारतूस 315 बोर 2-रवीन्द्र पुत्र मुन्नालाल राजपूत उम्र 19 वर्ष जिसके कब्जे से 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 3-सुरेन्द्र राजपूत पुत्र जाहर सिंह उम्र 22 वर्ष जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा व कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में क्रमशः मु.अ.सं. 09/23 धारा 8/20 NDPS Act. मु.अ.सं. 10/23, मु.अ.सं. 11/23, मु.अ.सं. 12/23 धारा 3/25 A.Act का अभियोग पंजीकृत किया गया साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन एच.एफ.डीलक्स UP 95 Q 8479 का कोई वैध प्रपत्र मौके पर मौजूद न होने के कारण वाहन का अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे ई चालान किया गया, थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।



गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

1-प्रथ्वीराज राजपूत पुत्र हीरालाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चांदौ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

I. मु.अ.सं. 02/23 धारा-286 भादवि II. मु.अ.सं. 09/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

III. मु.अ.सं.10/23 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम

2-रवीन्द्र पुत्र मुन्नालाल राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम चांदौ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

I. मु.अ.सं. 02/23 धारा-286 भादवि II. मु.अ.सं.11/23 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम

3-सुरेन्द्र राजपूत पुत्र जाहर सिंह उम्र 22 वर्ष समस्त निवासी ग्राम चांदौ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

I. मु.अ.सं. 02/23 धारा-286 भादवि II. मु.अ.सं.12/23 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ.नि. रमाकान्त शुक्ल
2. उ.नि. शेरे आलम खां
3. का. राहुल अग्निहोत्री
4. का.उपेन्द्र सिंह
5. का.भाष्कर यादव
6. का.अरूण यादव
7. का. धर्मेन्द्र यादव

बरामदगी-

2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

दो अदद तमन्चा 315 बोर 05 कारतूस 315 बोर

एक अदद वाहन एच.एफ.डीलक्स **UP 95 Q 8479** व रंग काला

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **04.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों **86** के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस